

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1681
13.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाना

1681 डा. मु. तंबी दुः

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत को कम करने का प्रस्ताव रखती है, जिसमें बैटरी की लागत भी शामिल है, ताकि वे जनता के लिए ज्यादा किफायती हो सकें;
- (ग) अब तक स्थापित किए गए सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है और आगामी तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है;
- (घ) क्या सरकार लंबी दूरी के लिए (ईवी) बैटरी और संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास को समर्थन प्रदान करने की योजना बना रही है; और
- (ङ) देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अधिकाधिक अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क और ङ): प्रमुख शहरों में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने निम्नलिखित स्कीम लागू की हैं:-

(i) भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण करने की स्कीम (फेम इंडिया) चरण-II: सरकार ने इस स्कीम को 01.04.2019 से 31.03.2024 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया, जिसके लिए कुल 11,500 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन दिया गया। इस स्कीम के तहत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया और ई-चौपहिया वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया और ई-बसों के लिए अनुदान तथा ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) स्थापित करने के लिए अनुदान दिया गया। फेम-II ने ई-

दुपहिया, ई- तिपहिया और ई-चौपहिया सहित लगभग 16.71 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का समर्थन किया है और विभिन्न शहरों के लिए 6,862 ई-बसों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 07.02.2026 तक 5,195 ई-बसें तैनात की जा चुकी हैं।

(ii) **भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** भारत सरकार ने 23.09.2021 को भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए इस स्कीम को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है।

(iii) **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने 09.06.2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई स्कीम को अधिसूचित किया। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटे की एसीसी बैटरी के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

(iv) **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ईड्राइव) स्कीम:** 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस स्कीम को 29.09.2024 को अधिसूचित किया गया है। यह स्कीम ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस और ई-एम्बुलेंस सहित लगभग 28.27 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने में सहायता करती है। इसके अलावा, इस स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन के सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) और परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन भी शामिल है। इस स्कीम के तहत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 13,800 ई-बसें दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और सूरत सहित चार मिलियन से अधिक आबादी वाले सात शहरों में आवंटित की गई हैं।

(v) **पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम:** 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में सहायता करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक होने की स्थिति में ई-बस संचालकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

(vi) **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई)** को 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% और पांचवें वर्ष के अंत में न्यूनतम 50% का घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना होगा।

ख) : जी हां, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत, जिसमें बैटरी की लागत भी शामिल है, को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन आम जनता के लिए किफायती बन सकें:

- (i) प्रत्यक्ष सब्सिडी: पीएम ई-ड्राइव के तहत अग्रिम मांग प्रोत्साहन से उपभोक्ताओं के लिए खरीद मूल्य कम होगा।
- (ii) कर लाभ: इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, और चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क माफ करने की सलाह दी गई है।
- (iii) घरेलू विनिर्माण: पीएलआई-एसीसी और पीएलआई-ऑटो स्कीम का उद्देश्य क्रमशः उन्नत रसायन बैटरी सेल और इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं बनाकर और निर्भरता को कम करके लागत को कम करना है, जिसके लिए विनिर्माताओं को बिक्री से जुड़ी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

इन संयुक्त उपायों के माध्यम से, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च लागत को सक्रिय रूप से कम कर रही है और उन्हें किफायती बनाने की दिशा में काम कर रही है।

(ग): बीएचईएल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में कुल 29,151 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित किए गए हैं। ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, किंतु पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत अखिल भारतीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में ईवीपीसीएस की तैनाती के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(घ): सरकार पीएलआई-एसीसी स्कीम के माध्यम से लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के विकास का समर्थन कर रही है, जिसके तहत उन्नत रसायन सेल (एसीसी) की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) को पीएलआई-ऑटो स्कीम के तहत पात्र उत्पाद के रूप में शामिल किया गया है।

फेम-II और पीएम ई-ड्राइव स्कीम के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के तहत ट्रैक्शन बैटरी पैक एक अनिवार्य घटक है।
